न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 04/2012

राजस्थान सरकार जरिये श्री राकेश शर्मा, प्रर्वतन अधिकारी अजमेर। .....*प्रार्थी*

बनाम

1. मै0 अवन्तिका एन्टरप्राइजेज, रावण की बगीची, उसरी गेट, अजमेर
2. श्री गोविन्द गर्ग पुत्र रामलाल गर्ग पार्टनर मै0 अवन्तिका गैस एन्टरप्राइजेज,अजमेर
3. श्री महेन्द्र गोयल पुत्र डी.एन.गोयल, पार्टनर, मै0 अवन्तिका एन्टरप्राइजेज अजमेर।
4. अब्दुल शहीद पुत्र श्री मौ0 इस्माईल निवासी किशनपुरा सोमलपुर रोड, अजमेर।

.....*अप्रार्थीगण*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अप्रार्थी सं 1,से 4

आदेश

दिनांक 16.11.2016

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2012 को रसद विभाग की जाचं टीम द्वारा गैस वितरण व्यवस्था की जांच दौरान आशागंज, हांसीबाई की धर्मशाला, अजमेर के बाहर मुख्य मार्ग पर काफी तादाद में घरेलु गैस सिलेण्डर का भण्डारण होना पाया गया। पूछताछ पर मौके पर खडे व्यक्ति ने अपना नाम श्री अब्दुल शहीद पुत्र श्री मौहम्मद शहीद बताते हुए यह कैम्प मैसर्स अवन्तिका एन्टरप्राइजेज गैस एजेन्सी, आई.ओ.सी कम्पनी, रावण की बगीची, अजमेर का है। तथा वह एजेन्सी का कार्मिक है। अजमेर जिले की सभी गैस एजेन्सियों को जन सुरक्षा के मध्यनजर मुख्य मार्ग पर जमीन पर भरे हुए सिलेण्डरों का भण्डारण नहीं करने हेतु ताकीद की गई थी। इसके बावजूद एजेन्सी द्वारा मुख्य मार्ग पर जहां भारी आवागमन है, पूर्णतया रिहायशी इलाका हैं पर 56 गैस सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किये जाने के कारण पडे हुए सभी सिलेण्डरों को विवरण फर्द मौका एवं जब्ती में कर इन्हें राजहित में कब्जेराज लिया जाकर मै0 कुक एण्ड कुक एजेन्सी, डीलर आई.ओ.सी के कार्मिक श्री गजराज पुत्र श्री बालूराम को सुपुर्दगी में दिये गये। एजेन्सी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलिय उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंतण) आदेश–1990 के खण्ड 19 जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 9 व 11 की अवहेलना है। अतः कब्जेराज लिये गये उक्त 56 सिलेण्डरों को राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक उत्तम गुरूबक्षानी उपस्थित आये, जवाब पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। सुनवाई चाहे जाने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 06.01.2012 को रसद विभाग की जाचं टीम द्वारा गैस वितरण व्यवस्था की जांच दौरान आशागंज, हांसीबाई की धर्मशाला, अजमेर के बाहर मुख्य मार्ग पर कैम्प लगाकर अप्रार्थी एजेन्सी द्वारा काफी तादाद में घरेलु गैस सिलेण्डर का भण्डारण किया

16/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जाना पाया गया। अजमेर जिले की सभी गैस एजेन्सियों को जन सुरक्षा के मध्यनजर मुख्य मार्ग पर जमीन पर भरे हुए सिलेण्डरों का भण्डारण नहीं किये जाने हेतु ताकिद किये जाने के बावजूद एजेन्सी द्वारा मुख्य मार्ग पर जहां भारी आवागमन है, पूर्णतया रिहायशी इलाका में जमीन पर 56 गैस सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किये जाने के कारण पडे हुए सभी सिलेण्डरों को विवरण फर्द मौका एवं जब्ती में कर इन्हें राजहित में कब्जेराज लिया जाकर मै0 कुक एण्ड कुक एजेन्सी, डीलर आई.ओ.सी के कार्मिक श्री गजराज पुत्र श्री बालूराम को सुपुर्दगी में दिये गये। एजेन्सी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलिय उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंतण) आदेश–1990 के खण्ड 19 जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 9 व 11 की अवहेलना है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त कब्जेराज लिये गये 56 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैस एजेन्सी द्वारा अपने गैस गोदाम से अपने वाहन में सिलेण्डर भरकर उपभोक्ताओं को वितरण हेतु ले जाने दौरान वाहन का टायर पंचर हो जाने कारण दूसरे वाहन की व्यवस्था होने तक जब्त सिलेण्डर वहां उतारे गये थे उसी समय रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा सीधे ही धारा 6 ए के तहत कार्यवाही करते हुए सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। गैस एजेन्सी द्वारा मौके पर कोई कैम्प नहीं लगाया था। अप्रार्थी गैस एजेन्सी पर किसी प्रकार की कोई अनियमितता, कालाबाजारी, या अवैध रिफलिंग का आरोप नहीं लगाया गया है। कथित स्थान पर कैम्प लगाने के तथ्य को साबित करने हेतु कोई स्वतंत्र गवाह भी पेश नही किये गये है। प्रार्थी द्वारा गलत रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत प्रकरण नहीं बनता है। अतः रसद विभाग द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण को समाप्त करते हुए जब्त सिलेण्डर प्रार्थी को लौटाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों को साबित करते। वरवक्त जांच मौके पर अप्रार्थी एजेन्सी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध विक्रय/अनाधिकृत उपयोग किया जाना नहीं पाया गया है। अप्रार्थी गैस एजेन्सी द्वारा अपने जवाब/साक्ष्य में प्रस्तुत फोटोग्राफ से सिलेण्डर वाहन में रखे हुए दिख रहें है, इससे अप्रार्थी एजेन्सी द्वारा अपने गैस गोदाम से घरेलू गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को वितरण हेतु अपने वाहन से ले जाने दौरान वाहन पंचर होने के कथन की पुष्टि होती है। शर्तो की अवेहलना बाबत अप्रार्थी के विरूद्ध नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही किया जाने के तथ्य भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी एजेन्सी के खिलाफ किसी प्रकार का कालाबाजारी का प्रकरण भी नहीं बनता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा एजेन्सी के विरूद्ध धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, ठोस आधार नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner